प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 21 मई, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय शंकर कुशवाहा पुत्र स्व0 रामनरेश कुशवाहा, निवासी जनपद-गाजीपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 01.09.2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय शंकर कुशवाहा पुत्र स्व0 रामनरेश कुशवाहा (दिनांक 01.02.2024 तक 57 वर्ष 02 माह 15 दिन) जो ग्राम-सुसुन्डी, थाना-नोनहरा, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। शंकर के धान के खेत का पानी अमरनाथ के धनियाँ के खेत में चले जाने के कारण दिनांक 17.08.2006 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक रायफल व कट्टा से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-415/2006 धारा-302/34, 307/34 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-03, गाजीपुर के आदेश दिनांक 20.01.2009 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 01.02.2024 तक 17 वर्ष 05 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 11 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से इन्कार नहीं किये जाने, भविष्य में भी अपराध करने का पूर्ण अंदेशा होने, पुनः अपराध में संलिप्त होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 01.02.2024 तक बन्दी की 57 वर्ष, 02 माह की आयु, बन्दी दिनांक 01.02.2024 से जमानत मुचलके पर रिहा होने, बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध की प्रकृति (03 व्यक्तियों की हत्या) एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, जौनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय शंकर कुशवाहा (बन्दी संख्या-369/2014) पुत्र स्व0 रामनरेश कुशवाहा, निवासी जनपद-गाजीपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-581/2026/2010(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।

2- पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।